न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 19/2017

बउनवान

नट्टीबाई पत्नी चतरभुज उम्र 55 साल जाति–मीणा निवासी–बैंगना तहसील–बारां जिला–बारां (राज0) **(अपीलांटा)**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, बारां **(रेस्पोंडेंट)**

अपील तहसील–बारां के निर्णय दिनांक 08.06.2017 नामा0 सं0 892 आराजी ग्राम–बैंगना अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री बृजराज किशोर शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांटा)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 04.02.2019

1– अपीलांटा ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांटा ने दिनांक 04.05.2017 को खातेदार रामगोप से आराजी ख0नं0 217 रकबा 3.65 है0 वाके ग्राम बैंगना तहसील–बारां का 48/61 हिस्सा सम्पूर्ण आराजी का 96/365 वॉ हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था जिसका इन्तकाल रेस्पों0 द्वारा अपीलांट के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने बाबत पारित करना था। किन्तु रेस्पों0 ने अपीलांट का नाम इन्तकाल नं0 892 में सहखातेदार के रूप में अंकित किया जाकर, दिनांक 08.06.2017 को यह नोटिस लगाते हुये अस्वीकृत किया गया कि उपखण्ड अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 30.06.2014 से सम्पूर्ण आराजी पर रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश है। रेस्पों ने गैरकानूनी तरीके से इन्तकाल नम्बर 892 दिनांक 23.05.2017 को हल्का पटवारी द्वारा खोला गया था जिसपर आई0एल0आर0 की रिपोर्ट दिनांक 08.06.2017 को तस्दीक किया गया था। बिना अपीलांट को सुने एंव बिना वैधानिक प्रक्रिया अमल में लाये गलत आशय से दिनांक 08.06.2017 को तहसीलदार, बारां द्वारा लगाये गये नोट को काटकर निरस्त कर दिया गया है। काननून इन्तकाल एक बार हीं तस्दीक होने के बाद उसी अधिकारी द्वारा इन्तकाल निरस्त नहीं किया जा सकता। किन्तु रेस्पों0 ने गैरकानूनी रूप से अपने द्वारा तस्दीक किया हुआ इन्तकाल अपीलांट को सुनवायी का अवसर दिये बिना प्रक्रिया का पालना किये बिना निरस्त कर दिया है जो कतई गैरकानूनी निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त क्रय की हुयी आराजी के बाबत राजस्व रेकार्ड में कोई स्थगन जो स्थगन आदेश दिनांक 30.06.2014 को पारित हुआ था वह रामगोप के नहीं था बल्कि अशोकुमार पुत्र मदनलाल के 1/3 हिस्से पर था। किन्तु न्यायालय ने अपीलांट को उक्त इन्तकाल निरस्त करने से पूर्व सुनवायी का बिना खारिज कर दिया जो कतई गैरकानूनी होने से निरस्त योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर, इन्तकाल नं0 892 दिनांक 08.06.2017 पर तहसीलदार, बारां ने जो नोट लगाकर इन्तकाल अस्वीकृत किया है, उक्त नोट को निरस्त किया जाकर, इन्तकाल बहाल किया जावे।

2— इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट्स को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्रति प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांटा ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलांटा ने ग्राम बैंगना की खाता संख्या 226 की संयुक्त खातेदारी की आराजी में से खातेदार रामगोप पुत्र मदनलाल मीणा से आराजी ख0नं0 217 रकबा 3.65 है0 में से 48/61 हिस्सा दिनांक 04.05.2017 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया था। जिसका इन्तकाल संख्या 892 हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया, जिसपर भू.अभि.निरी. द्वारा भी दिनांक 23.05.2017 को अनुशंषा कर, स्वीकार करने हेतु तहसीलदार, बारां के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसपर तहसीलदार, बारां द्वारा यह नोट अंकित कर कि उपखण्ड अधिकारी, बारां के आदेश दिनांक 30.06.2014 से सम्पूर्ण आराजी पर रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश है, इस कारण उक्त इन्तकाल पहले स्वीकृत करने के बाद उसी दिन अस्वीकृत कर दिया गया। जबकि एक बार इन्काल स्वीकार करने के बाद उसे खारिज करने का अधिकार तहसीलदार, बारां को नहीं है। साथ हीं कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने जिस स्थगन के कारण इन्तकाल खारिज किया है यह स्थगन आदेश उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा सहखातेदार अशोककुमार पुत्र मदनलाल मीणा हिस्सा 1/3 की आराजी के बाबत दिया गया है। रामगोप विक्रेता की आराजी पर कोई स्थगन नहीं है, उक्त आराजी पर स्थगन नहीं होने से कारण हीं अपीलांटा ने उक्त आराजी रामगोप से क्रय की गयी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड की वास्तविक परिस्थितियों का बिना अवलोकन किये हीं, अपीलांट को बिना सुनवाई व जवाबदेहीं किये हीं इन्तकाल अस्वीकृत कर दिया है। अपीलांटा सहभावी क्रेता है जिसमें जर्ये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र आराजी क्रय हीं है। तहसीलदार, बारां उक्त इन्तकाल अस्वीकृत करने से अपीलांटा के अधिकार प्रभावित हुए है। अतः अपीलांटा की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन्तकाल नं0 892 दिनांक 08.06.2017 वाके ग्राम बैंगना में अस्वीकृत किये गये नोट को निरस्त किया जाकर, इन्तकाल बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांटा अभिभाषक के कथन का [illegible] करते हुये व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्तकाल नं0 892 [illegible] पत्नी चतरभुज बाबत पेश हुआ है। उक्त आराजी सहखातेदार रामगोप द्वारा [illegible] के बेचान की गयी है। संयुक्त आराजी में 4.96 है0 आराजी अवस्थित है। [illegible] आराजी बाबत उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा आदेश दिनांक 30.06.2014 से [illegible] आराजी पर रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश है। इसी आधार पर तहसीलदार, [illegible] उक्त इन्तकाल अस्वीकृत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। अपील खारिज फरमायी जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांटा व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जिससे पाया जाता है कि अपीलांटा द्वारा संयुक्त खातेदारी में अवस्थित आराजी कुल रकबा 4.96 है0 में से सहखातेदार रामगोप पुत्र मदनलाल मीणा के हिस्से की आराजी में से आराजी ख0नं0 217 रकबा 3.65 है0 वाके ग्राम बैंगना मे से 48/61 हिस्सा यानि सम्पूर्ण आराजी का 96/365 हिस्सा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.05.2017 को क्रय की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी एवं भू.अभि.निरी. द्वारा इन्तकाल दर्ज कर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, तहसीलदार, बारां द्वारा इन्तकाल पुष्ट पर इन्तकाल स्वीकृत किया गया है, तत्पश्चात् उसी दिवस दिनांक 08.06.2017 को नोट अंकित कर कि सम्पूर्ण खाते की आराजी पर उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश किये गये है। इस कारण इन्तकाल अस्वीकृत किया गया है। जबकि प्रथम दृष्टया वर्तमान नकल खाता जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 के अवलोकन से पाया जाता है कि यह स्थगन सहखातेदार अशोककुमार पुत्र मदनलाल मीणा हिस्सा 1/3 के हिस्से पर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त इन्तकाल अस्वीकृत करने में कानूनी भूल की गयी है, जो संशोधन योग्य प्रतीत होती है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांटा की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा अस्वीकृत इन्तकाल संख्या 892 वाके ग्राम बैंगना में पारित आदेश दिनांक 08.06.2017 को निरस्त किया जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां को इस निर्देश के साथ प्रेतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलांटा को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं उपखण्ड अधिकारी, बारां के स्थगन आदेश दिनांक 30.06.2014 का अवलोकन कर, पुनः निर्णय पारित किया जावे। अपीलांटा को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के समक्ष दिनांक 22.02.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official